

प्रेस- नोटथाना- रानी की सरायअवैध असलहा व कारतूस एवं 05 लीटर ट्रान्सफार्म का तेल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।**गिरफ्तारी की विवरण-**

दिनांक- 24.03.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान कोटिला नगर पुलिसिया के पास एक व्यक्ति मंजीत चौहान पुत्र रामबचन चौहान नि0 मोलनापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को एक तमंचा .315बोर व एक जिन्दा कार0 .315 बोर तथा गैलन में 05 लीटर ट्रान्सफार्म का तेल के साथ समय 08.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मंजीत चौहान पुत्र रामबचन चौहान नि0 मोलनापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मंजीत चौहान पुत्र रामबचन चौहान नि0 मोलनापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बरामदगी -

1- एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कार0 .315बोर

2- 05 लीटर ट्रान्सफार्म का तेल

आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	307/2023	60 अबकारी अधि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
02	86/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
03	175/2020	427/504/506 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
04	84/2020	379/411 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
05	80/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)का0 हृदेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3)का0धीरज पेटल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

ग्राम बागलखरांव में हुई हत्या के 06 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, हत्या की घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व डंडा बरामद।

पूर्व की घटना.. दिनांक 21.03.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती किरन पत्नी पंकज कुमार सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.निखिल भारती, 2. गुड्डू भारती पुत्रगण जंगबहादुर, 3.वंशबहादुर 4.जंगबहादुर पुत्रगण अलगू, 5.सूरज पुत्र वंशबहादुर, 6.गुलाबी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण बागलखराव, थाना-सिधारी, आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पति पंकज कुमार पुत्र स्व0 विजय चन्द प्रसाद सा0 बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को लाठी, डण्डा लोहे की राड व फावड़ा से मार पीट कर हत्या कर दी गयी व बीच बचाव करने पर स्वयं को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 096/2024 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि बनाम 06 नफर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

►विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नामित सूरज पुत्र वंशबहादुर के स्थान पर अभियुक्त संदीप पुत्र वंशबहादुर सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की संलिप्तता मुकदमा उक्त की घटना में पायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 24.03.2024 को योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. निखिल भारती पुत्र जंगबहादुर 2. गुड्डू भारती उर्फ कैलास कुमार पुत्र जंगबहादुर 3. वंशबहादुर पुत्र अलगू 4. जंगबहादुर पुत्र अलगू 5. संदीप पुत्र वंशबहादुर व 01 नफर अभियुक्ता गुलाबी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण ग्राम बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ को भदुली अण्डरपास के पास से समय 08.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तों की निशा देही पर घटना स्थल से थोड़ी दूर स्थित करकट में से अभियुक्त निखिल द्वारा घटना में स्वयं प्रयोग किये गये एक कुल्हाड़ी व अभियुक्त जंगबहादुर द्वारा घटना में स्वयं प्रयोग किये गये एक लकड़ी का डण्डा बरामद कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पृष्ठताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त निखिल भारती पुत्र जंगबहादुर भारती ने बताया कि पिछले वर्ष 2023 में दिनांक 10.03.2023 को मैं अपने निजी काम से रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमारे ही गांव के विरेन्द्र उर्फ बिल्ला पुत्र रामधनी सा0 बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा अपने अन्य 04 साथियों के साथ मिल कर हरबंशपुर में मुझे मारा पीटा एवं मेरा पैसा छीन लिया था तथा पुनः दिनांक 23.05.2023 को हमारे गांव में बारात आयी थी द्वार पूजा के समय पुनः विरेन्द्र उर्फ बिल्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारने पीटने लगा जिसमें बचाव करने आये मेरे भाई पुल्लू को भी मार पीट कर घायल कर दिये जिसमें ईलाज के दौरान मेरे भाई पुल्लू की मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया जिसमें विरेन्द्र उर्फ बिल्ला व उसके साथी जेल गये जमानत पर बाहर आने के बाद मुकदमें में सुलह समझौता करने के लिये बार बार कहते थे। इसी मामले में दिनांक 21.03.2024 को विरेन्द्र उर्फ बिल्ला के तरफ से उसके पट्टीदार पंकज कुमार पुत्र विजय मेरे सुलह समझौता की बात करने आया था और कहा कि पांच लाख रुपये ले लो और सुलह कर लो नही तो मारे जाओगे इसी बात पर गुस्से में आकर हम सभी ने मिलकर उसे मार पीट कर उसकी हत्या कर दिये।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 096/2024 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निखिल भारती पुत्र जंगबहादुर भारती सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
2. गुड्डू भारती उर्फ कैलाश पुत्र जंगबहादुर सा0 बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष
3. जंगबहादुर पुत्र अलगू सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष
4. वंशबहादुर पुत्र अलगू सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष
5. संदीप पुत्र वंशबहादुर सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
6. गुलाबी देवी पत्नी जंगबहादुर सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष

अभियुक्त निखिल भारती का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0- 200/19 धारा 147/148/341/504/506 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 123/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिधारी
- 3.मु0अ0सं0- 384/23 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व 3/4डीपी एक्ट थाना सिधारी
- 4.मु0अ0सं0- 96/24 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि थाना सिधारी

अभियुक्त गुड्डू उर्फ कैलाश का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0- 123/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिधारी
- 2.मु0अ0सं0- 384/23 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व 3/4डीपी एक्ट थाना सिधारी
3. मु0अ0सं0- 96/24 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि थाना सिधारी

अभियुक्त जंगबहादुर व अभियुक्ता गुलाबी देवी का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0- 384/23 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व 3/4डीपी एक्ट थाना सिधारी
2. मु0अ0सं0- 96/24 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि थाना सिधारी

बरामदगी-

1. एक कुल्हाड़ी व एक लकड़ी का डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह सिधारी आजमगढ़